

वि. 0162

18.2.21

21/20 पत्रावली वकील श्री दे
 प्रार्थना पत्र पर लिखे हे तलब
 की गई। इस पत्रावली के
 प्रसंग का का काज निस्तारण
 के जाने के बाद इस पत्रावली
 के कोर कार्रवाई शेष नहीं
 रह जाती है। पत्रावली इसी
 तरह पत्र समाप्त की जाती
 है। पत्रावली के पर शुद्ध
 का का तलब के का है।

यथा
 सहायक कलेक्टर
 बड़ीसादड़ी

